सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2017
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – राजियावास

1– श्री गोपालसिंह वयस्क पुत्र श्री खंगारसिंह
2– श्रीमति नैनी वयस्क बैवा स्व0 श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री खंगारसिंह
जाति रावत निवासीयान ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर

————प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्रीमति मदीना बानो आयु 26 पत्नि श्री अशरफ जाति मुसलमान कुरेशी निवासी ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
2– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर राज0
3– श्री हरीसिंह पुत्र श्री भोमसिंह रावत निवासी ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर जि0अजमेर राज0

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 17.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजियावास में पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा ग्राम राजियावास पटवार क्षैत्र राजियावास तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 1423 रकबा 00–14–00 किस्म ता. 1+ की भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार चले आ रहे है, तथा राजस्व रेकार्ड में भी उक्त आराजी पर पिछले 40 सालो से अधिक समय से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1423 में आने जाने हेतू उससे लगते हुये खसरा नंबर 1426/1 रकबा 7 बिस्वा में स्थित चला आ रहा है जो कि लगभग 30 फीट चौडा विद्यमान चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतू एक मात्र रास्ता उक्त खसरा नंबर में ही है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पिछले 40 सालो से करते आ रहे है अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीया संख्या 1 उक्त रास्ते को जबरन बंद करने के लिये आमादा है, तथा उक्त रास्ते में केबिन रख दी तथा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। दिनांक 13.02.2017 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि उक्त रास्ते को अवरूद्ध या बंद नही करे तथा उक्त केबिन को हटा देवे किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ते की भूमि पर से केबिन हटाने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण उक्त 30 फीट रास्ते की भूमि बाबत कीमत डीएलसी रेट से अदा करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबर 1423 से लगते हुये खसरा नंबर 1426/1 में बने 30 फीट चौडे रास्ते दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान करे तथा उक्त रास्ते को राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार ब्यावर ने मौका पर्चा सहित रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण वर्तमान में अपने खेत में आने जाने के लिये खसरा नंबर 1424 की मेड को पगडंडी के रूप प्रयोग करते है, तथा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। खसरा नंबर 1424 जो कोटिया चौराया से राजियावास ग्राम की पक्की सडक पर स्थित है जो प्रार्थीगण के खेत पर पहुंचने में आसान है, तथा प्रार्थीगण खेत के नजदीक व सुविधा जनक भी है। खसरा नंबर 1424 रकबा 00–11–00 है, उक्त खसरा का रकबा 00–02–15 प्रभावित होगा, प्रभावित रकबा सिंचित है, जो लाडू पुत्र देवी कौम रावत साकिन देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा राजियावास मुर्तहीन के नाम दर्ज है। राजियावास की सडक के पास सिंचित भूमि की डीएलसी दर प्रति बीघा 1,48,509/– रूपये तथा रकबा 00–02–15 जिसकी कीमत 20,420/–रूपये व जिसकी दुगनी कीमत 40,840/– रूपये होती है।

....................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

मजमें आम में प्रार्थी गोपालसिंह उपस्थित जिसको सुना गया उसने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम राजियावास की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 133 अनुसार खसरा नंबर 1423 रकबा 00–14–00 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 797 के खसरा नंबर 1426/1 रकबा 00–07–00 अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से मुख्य सड़क पर पहुचने में खसरा नंबर 1424 रकबा 00–11–00 किस्म ता. 1+ में से 00–02–15 भूमि रास्ते हेतु उपयोग होना बताया है जो कोटिया चौराया से राजियावास पक्की सडक पर स्थित है तथा उसके खातेदार लाडू पुत्र देवी कौम रावत साकिन देह जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 631 अनुसार दर्ज होना पाया गया। जिसकी डीएलसी दर 1,48,509/– रू. प्रति बीघा बताई गई। अप्रार्थीगण ने अपने कोई जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा वांछित भूमि में से प्रार्थीगण आवागमन नहीं करते हैं तथा मौके पर खसरा संख्या 1424 की मेड़ को आने जाने हेतु उपयोग में करते हैं। अतः प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1423 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1424 में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं।

ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम राजियावास के खसरा संख्या 1423 रकबा 00–14–00 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 1424 रकबा 00–11–00 किस्म ता. 1+ में से रास्ते हेतु प्रभावित कुल भूमि रकबा 00–02–15 को सिवायचक आम रास्ता अंकित जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि पर डी.एल.सी. दर अनुसार रकबा 00–02–15 भूमि की कुल राशि 20,420 रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि रू. 40,840 रू. बनती है। उक्त राशि 40,840/–रू. लाडू पुत्र देवी कोम रावत निवासी राजियावास को नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावे। उक्त राशि अदा किये जाने के पश्चात् ही उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। लाडू पुत्र देवी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1424 के कुल रकबे में से रास्ते की भूमि के रकबे को कम करते हुए राजस्व अभिलेखों में शेष रकबा दर्ज किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप राजियावास में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर